

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 106/2015

संस्थित दिनांक-21.04.14

फाईलिंग नंबर-230303016842014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)अभियोजन

वि रू द्ध

1. रवि गुर्जर पुत्र रामखिलाड़ी गुर्जर उम्र 22 साल
2. बंटी उर्फ रायसिंह गुर्जर पुत्र सोरोसिंह गुर्जर उम्र 22 साल
समस्त निवासीगण ग्राम बमरौली पी0एस0 रिठौर जिला
मुरैना म0प्र0

..... आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री बी0एस0 यादव अधिवक्ता ।

---:-- निर्णय ---:--

(आज दिनांक 19.03.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण रवि गुर्जर एवं बंटी उर्फ रायसिंह के विरुद्ध धारा-394 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.02.14 को 3.30 बजे रिठौरा रोड क्राम्प्टन ग्रीव्ज फैक्ट्री के सामने मालनपुर जिला भिण्ड जहाँ मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील है, मनोजसिंह सोलकी के आधिपत्य में से जेसीबी मशीन की लूट कारित की एवं लूट कारित किये जाने में मनोजसिंह को लात घूसों से मारपीट कर अग्नायुध का प्रयोग किया एवं आरोपी रवि गुर्जर पर धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11/13एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत यह भी आरोप है कि वह उक्त दिनांक स्थान व समय पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कट्टा एवं तीन कारतूस 315 बोर के रखे पाया गया।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 09.02.14 को घटनास्थल रिठौरा रोड क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज फैक्ट्री के सामने मालनपुर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि लूटी गई

जेसीबी मशीन जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम0पी0-07डीए-0432 है वह जय श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कंपनी के नाम पंजीकृत है जिसका साक्षी बनवारीलाल शर्मा अ0सा0-4 एक साझेदार है जिसे वह सुपुर्दगी पर प्रदान की गई है। तथा यह भी स्वीकृत है कि उक्त कंपनी में फरियादी मनोजसिंह सोलंकी जे0सी0बी0 का ड्रायवर था तथा साक्षी राजू अ0सा0-6 उक्त ड्रायवर का भतीजा है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी मनोज ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 09.02.14 की रात करीब सवा तीन बजे वह दीपू यादव की जेसीबी मशीन क्रमांक-एम0पी0-07डी ए- 0432 को विकास पेट्रोलपंप मालनपुर से चलाकर धनीराम शर्मा नौगांव वालों के यहाँ काम करने के लिये लेकर जा रहा था। जैसे ही कॉम्प्टन ग्रीन्डज फैक्ट्री के सामने पहुंचा तो बमरौली गांव के रवि गुर्जर और बंटी गुर्जर आ गये। उन्होंने उसे हाथ दिया तो उसने मशीन को रोक दिया। उसके साथ उसके भतीजे राजू ने इनसे पूछा कि क्या बात है तभी बंटी और रवि मशीन पर उपर चढ़कर आ गये और रवि ने कट्टा निकालकर उसके कान पर लगा दिया और बोला कि मादरचोद मशीन हमें दो नहीं तो जान से खतम कर दूंगा। उसने विरोध किया तो बंटी व रवि ने लात घूंसे मारना शुरू कर दिया और बोला साले गोली मार दूंगा। उसने भय के कारण मशीन दे दी। वह व उसका भतीजा वापिस पंप पर आये और दीपू यादव को घटना बताई। मशीन को रवि व बंटी लूटकर ले गये हैं जिसकी कीमत 19 लाख रुपये है। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना मालनपुर द्वारा अप0क्र0-37/14 धारा-394 भा0द0वि एवं 11/13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिस पर से विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका, जप्ती, गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं साक्षियों के कथन उपरान्त विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भिण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जहाँ से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध धारा-394 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत एवं साथ ही आरोपी रवि गुर्जर पर धारा 25 (1-ख)(क) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11/13एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 अंतर्गत अतिरिक्त आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से कोई बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

अ- क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.02.14 को दिन के करीब 3.30 बजे रिठौरा रोड़ कॉम्प्टन ग्रीन्डज फैक्ट्री के सामने मालनपुर से फरियादी मनोजसिंह सोलंकी के आधिपत्य की जेसीबी मशीन क्रमांक-एम0पी0-07डी ए- 0432 की लूट कारित की?

ब- क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत लूट की घटना कारित करने में फरियादी मनोजसिंह की लात घूंसे से मारपीट कर तथा आग्नेय शस्त्र अवैध देशी कट्टा 315 बोर का भी लूट के प्रयोजन से उपयोग किया?

स- क्या आरोपी रवि गुर्जर उक्त सुसंगत घटना के समय अपने आधिपत्य व

संज्ञान में वगैर वैध अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का देशी कट्टा मय तीन जीवित कारतूसों के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया? यदि हाँ तो दण्ड—

—::—निष्कर्ष के आधार ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— अ, एवं ब का निराकरण

6. उक्त विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
7. इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण का फरियादी और सर्वाधिक महत्व का साक्षी मनोज अ०सा०-2 और उसका भतीजा राजू अ०सा०-6 है। मूल बताई गई घटना मुताबिक फरियादी मनोजसिंह सोलंकी दीपू यादव की जेसीबी मशीन क्रमांक-एम०पी०-07डीए-0432 को विकास पेट्रोल पंप मालनपुर से धनीराम शर्मा नौगांव वाले के यहाँ लेकर जा रहा था। उसका भतीजा राजू साथ में था। तब कॉम्प्टन ग्रीव्ज फैक्ट्री के सामने मालनपुर में आरोपीगण के द्वारा उसे हाथ देकर रोका गया और फिर मशीन पर चढ़कर रवि के द्वारा कट्टा उसकी कनपटी पर लगा दिया और गालियाँ दीं। तथा जेसीबी मशीन को जान से मारने की धमकी देकर छुड़ा लिया। विरोध करने पर लात घूसों से भी मारा। बंटी ने भी रवि को कहा कि सालों को गोली मार दो और भय के कारण उन्होंने मशीन दे दी। किन्तु इस प्रकार के कथानक का स्वयं फरियादी मनोज अ०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में कोई समर्थन नहीं किया है। उसने आरोपीगण को पहचानने से भी इन्कार किया और केवल यह स्वीकार किया है कि वह ड्रायवरी करता है। तथा फरवरी-2014 में रात के करीब 3.00 बजे वह जेसीबी मशीन क्रमांक-एम०पी०-07डीए-0432 जो बनवारीलाल शर्मा और दीपू यादव की थी, उसे मालनपुर से नौगांव में धनीराम शर्मा के यहाँ चलाने के लिये लेकर जा रहा था। उसका भतीजा राजू साथ में था। तब मालनपुर में कॉम्प्टन फैक्ट्री के पास पांच लोगों ने आकर उसकी मारपीट की थी और मशीन लेकर चले गये थे। जो लोग आये थे वह लोग मुंह बांधे हुए थे।
8. जेसीबी मशीन की लूट के संबंध में उसने थाना मालनपुर में अज्ञात के विरुद्ध प्र०पी०-2 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०-3 भी बनाया था। दोनों दस्तावेजों पर उसने अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर भी बताये हैं और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दिये बयान में लूट करने वालों के नाम लिखाने से इन्कार किया है तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान आरोपीगण रवि व बंटी के बारे में इस बात से भी इन्कार किया है कि उन्हें पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था तथा लूटी गई जेसीबी मशीन व कट्टा कारतूस जप्त किये गये थे। इस आधार पर अभियोजन द्वारा पक्ष समर्थन न करने से उक्त फरियादी मनोज सोलंकी को पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसने प्र०पी०-2 की रिपोर्ट में लूट करने वालों के नाम आरोपी रवि व बंटी गुर्जर लिखाये थे। इस बातसे भी इन्कार किया है कि लूट करने वाले दो लोग ही थे। उसने अपने भतीजे राजू से आरोपीगण की कोई बातचीत होने से भी इन्कार किया है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि रवि ने उस पर कट्टा लगा दिया और जान से मारने की

धमकी दी थी। तथा उसकी व उसकी भतीजे राजू की लात घूंसों से मारपीट की। इस बात से इन्कार किया है कि जान से मारने की धमकी देकर भय दिखाकर मशीन लूट कर ले गये। बल्कि उसने अज्ञात चार पांच बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कारित किया जाना बताते हुए प्र0पी0-2 की एफआईआर और प्र0पी0-4 के कथन में आरोपीगण के नाम लिखाने से भी इन्कार किया है।

9. अ0सा0-2 ने आरोपी रवि को प्र0पी0-5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर और बंटी को प्र0पी0-6 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किये जाने से इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी रवि से पूछताछ की थी और उसका प्र0पी0-7 का मेमोरेण्डम कथन तथा आरोपी बंटी से पूछताछ कर उसका प्र0पी0-8 का मेमोरेण्डम कथन तैयार किया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके सामने आरोपी बंटी उर्फ रायसिंह से पुलिस ने प्र0पी0-9 का जप्ती पत्रक बनाकर जेसीबी मशीन को जप्त किया था बल्कि उसने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर मात्र स्वीकार करते हुए पैरा-4 में यह कहा है कि थाने पर पुलिस ने करा लिये थे और पुलिस के कहने से उसने कर दिये थे। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य फरियादी के भतीजे राजू अ0सा0-5 के द्वारा भी देते हुए पुलिस को प्र0पी0-14 का पुलिस कथन लिखाने से भी इन्कार किया है और यह कहा है कि मनोज के साथ घटना किसने की, इस बारे में मनोज ने उसे नहीं बताया था जिसने घटना के समय डीपी यादव की जेसीबी मशीन पर हैलपर के रूप में काम करना कहा है। इस तरह से वह फरियादी के साथ घटना के समय होने से भी इन्कार करता है। केवल इस बात की पुष्टि करता है कि उसके चाचा मनोज से जेसीबी मशीन रात्रि के समय जबरन छीनकर ले जाई गई थी जो डीपी यादव की थी और घटना को तीन साल हो गये हैं। इस प्रकार अ0सा0-2 व 5 के न्यायालय में आये अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि अवश्य होती है कि जेसीबी मशीन क्रमांक-एम0पी0-07 डीए-0432 पर फरवरी-2014 कथित घटना दिनांक 09.02.14 को मनोज ड्रायवर और राजू हैलपर के रूप में कार्य करते थे और मशीन मालनपुर क्षेत्र से मनोज के कब्जे से लूटी गई थी और लूट में उनके साथ मारपीट भी हुई थी। किन्तु उक्त लूट की घटना आरोपी रवि गुर्जर और बंटी उर्फ रायसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बमरौली थाना रिठौरा जिला मुरैना के द्वारा ही कारित की गई। इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है इसलिये आरोपीगण के संबंध में घटना संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि स्वयं पीड़ित द्वारा उसका भी समर्थन नहीं किया गया है न ही बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी राजू जो कि फरियादी का भतीजा भी है, उसने कोई समर्थन किया है।

10. प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 दीपू यादव और बनवारी लाल शर्मा के साथ थाना मालनपुर पर जाकर जेसीबी मशीन के ड्रायवर मनोजसिंह सोलंकी द्वारा लिखाई जाना बताया गया है। दीपू यादव अ0सा0-3 के रूप में और बनवारी लाल शर्मा अ0सा0-9 के रूप में परीक्षित भी हुए हैं। मनोज अ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में घटना की रिपोर्ट दीपू यादव व बनवारीलाल के साथ जाकर पैरा-2 में लिखाना बताया है। दीपू यादव अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया है कि उसकी जेसीबी मशीन पर मनोज ड्रायवरी करता था जिसने उसे फरवरी-2014 में रात के तीन बजे जेसीबी मशीन क्रमांक-एम0पी0-07 डीए-0432 को मालनपुर से धनीराम शर्मा के यहाँ नौगांव चलाने के लिये ले जाते समय कॉम्प्टन फैक्ट्री के पास मालनपुर में पांच लोगों के द्वारा आकर उसकी मारपीट करते हुए मशीन को छुड़ा ले जाना बताया था जिसके संबंध में उसने और बनवारी लाल शर्मा ने थाना मालनपुर जाकर रिपोर्ट करवाई थी किन्तु

ड्रायवर मनोज ने उसे लूट करने वालों के नाम नहीं बताये थे। न ही उसने घटना के संबंध में पुलिस को दिये कथन में लूट करने वालों के नाम बताये और उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी रवि व बंटी को पुलिस ने उसके सामने न तो गिरफ्तार किया न ही कोई पूछताछ की न लूट की गई जेसीबी मशीन जप्त की गई और उसने प्र०पी०-11 का भी पुलिस को कथन देने से इन्कार करते हुए उसमें आरोपीगण के नाम लिखाने से इन्कार किया है। गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-5 व 6, मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-7 व 8 और जेसीबी मशीन का जप्ती पत्रक प्र०पी०-9 पर भी उसने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। उक्त साक्षी ने भी उक्त दस्तावेजों पर पुलिस द्वारा थाने पर ही हस्ताक्षर करा लेना बताया है और यह कहा है कि उससमय कागज कोरे थे लिखे हुए नहीं थे। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य बनवारीलाल शर्मा अ०सा०-4 का भी है। और उसने भी प्र०पी०-12 का पुलिस कथन देने से और उसमें आरोपीगण का नाम लिखाने से इन्कार किया है। आरोपीगण से समझौता होने से भी इन्कार किया है तथा यह भी कहा है कि ड्रायवर मनोज ने उसे भी घटना कारित करने वालों के नाम नहीं बताये थे। इस प्रकार से अ०सा०-3 व 4 भी पक्ष विरोधी साक्षी हैं और उन्होंने लूट की घटना विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

11. इस प्रकार अ०सा०-2 लगायत 4 व 6 में से किसी की भी अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं आई है। न ही उन्होंने लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा किये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य बताये हैं। इसलिये घटना की विवेचना करने वाले निरीक्षक शेरसिंह अ०सा०-5 के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या उसके अभिसाक्ष्य से लूट की घटना और लूट कारित करने में फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने तथा उसमें कोई आग्नेय शस्त्र का भी लूट के प्रयोजन से उपयोग किया जाना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है अथवा नहीं?
12. टी०आई० शेरसिंह अ०सा०-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.02.14 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी मनोजसिंह सोलंकी द्वारा दीपू यादव व बनवारी लाल शर्मा के साथ थाने आकर आरोपी बंटी गुर्जर व रवि गुर्जर निवासी बमरौली के विरुद्ध जेसीबी मशीन क्रमांक-एम०पी०-30डीए-0432 को कट्टा दिखाकर मारपीट कर कॉम्प्टन फैक्ट्री मालनपुर के सामने लूट कर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से उसने प्र०पी०-2 की एफआईआर लेखबद्ध कर अप०क्र०-37/14 धारा-394/34 भा०द०वि एवं 11/13 डकैती अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया था। किन्तु स्वयं फरियादी मनोज के द्वारा आरोपी रवि और बंटी के विरुद्ध लूट की घटना की रिपोर्ट करने से इन्कार किया गया है। चक्षुदर्शी साक्षी राजू अ०सा०-6 ने भी इन्कार किया है।
13. दीपू यादव अ०सा०-3 और बनवारी लाल अ०सा०-4 जो कि जेसीबी मशीन की साझेदार फर्म जय श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार हैं। उन्होंने भी आरोपीगण के द्वारा लूट किये जाने की बात फरियादी मनोज द्वारा बताये जाने के आधार पर पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया है। आरोपी बंटी से जेसीबी मशीन की प्र०पी०-9 के द्वारा जप्ती किये जाने से भी इन्कार किया गया है। आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने और उनके द्वारा जेसीबी मशीन की बरामदगी के संबंध में कोई जानकारी पुलिस को दिये जाने से भी इन्कार किया गया है जिनके पक्ष विरोधी होने के संबंध में अभिलेख पर कोई अभिसाक्ष्य विवेचक द्वारा नहीं दिया गया है न ही ऐसी कोई परिस्थितियाँ बताई है जिसके आधार पर अ०सा०-2 लगायत 4 व 6 का जान-बूझकर न्यायालय में असत्य

कथन किया जाना परिलक्षित होता हो इसलिये विवेचक के अभिसाक्ष्य से न तो प्र0पी0-2 की एफआईआर जिसमें कि आरोपीगण के विरुद्ध नामजद लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज बताई गई है वह प्रमाणित मानी जा सकती है न ही प्र0पी0-4, 11, 12 एवं 14 के कथन संबंधित साक्षियों के द्वारा उक्त विवेचक को दिया जाना और उसमें आरोपीगण के नाम बताये जाना प्रमाणित माना जा सकता है।

14. प्र0पी0-5 लगायत 9 के मुताबिक गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम कथन और जप्ती पत्रक की कार्यवाही भी स्वतंत्र और पंच साक्षियों से भी समर्थित नहीं है। इसलिये उक्त दस्तावेजों से संबंधित टी0आई0 शेरसिंह द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताई गई कार्यवाही को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि स्वयं फरियादी चार पांच अज्ञात लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित किया जाना बताता है। आरोपी बंटी गुर्जर से लूटी गई जेसीबी मशीन की जप्ती का पंच साक्षियों अ0सा0-2 व 3 के समर्थन न करने से यह भी नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में आरोपी बंटी और रायसिंह गुर्जर से ही लूट की गई जेसीबी मशीन बरामद हुई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम और जप्ती की कार्यवाही घटना दिनांक 09.02.14 की ही बताई गई है। प्र0पी0-9 मुताबिक जेसीबी मशीन की जप्ती पडावली तिराहा नूराबाद रोड से बताई गई है। प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 मुताबिक घटना मालनपुर स्थित कॉम्प्टन फैक्ट्री के सामने की है। प्र0पी0-5 लगायत 9 की कार्यवाही वास्तव में बताये गये स्थान पर जाकर की गई, इसके संबंध में कोई रोजनाचासान्हा अभिलेख पर नहीं है इसलिये भी विवेचक की कार्यवाही सुदृढ़ नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि उसका किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है।
15. अ0सा0-5 के द्वारा प्र0पी0-2 की एफआईआर की काउण्टर प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाने संबंधी डांक बुक की प्रति प्र0पी0-13 के रूप में पेश की गई है जिससे अधिकतम धारा-157 दप्रसं के आज्ञापक प्रावधान की पालना किया जाना ही परिलक्षित होता है किन्तु उससे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध ही फरियादी मनोजसिंह सोलंकी द्वारा दर्ज कराई गई थी। आहत मनोज का कोई मेडिकल परीक्षण भी नहीं हुआ है।
16. इस प्रकार से अभिलेख पर अ0सा0-2 लगायत 6 की उपलब्ध साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 09.09.14 की सुबह करीब 3.20 बजे कॉम्प्टन ग्रीवज फैक्ट्री मालनपुर के सामने से ही आरोपीगण रवि गुर्जर और बंटी गुर्जर के द्वारा जेसीबी मशीन क्रमांक-एम0पी0-07 डीए-0432 की लूट की गई और लूट की घटना कारित करने में फरियादी मनोज के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति पहुंचाई और उक्त घटना में लूट के प्रयोजन से आग्नेय शस्त्र का कोई उपयोग भी हुआ। हालांकि जो घटनास्थल बताया गया है वह राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत आना निर्विवादित है और घटना दिनांक को पैरा-2 में उल्लेखित मुताबिक एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रावधान प्रभावशील अवश्य थे। किन्तु फरियादी अज्ञात के विरुद्ध लूट की घटना बताता है जिससे मूल घटना पूरी तरह से संदिग्ध है और कोई भी तथ्य अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये आरोपीगण उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में संदेह का लाभ पाने के पात्र हो जाते हैं। फलतः उन्हें धारा-394 भा0द0वि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-स का निराकरण

17. इस संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की जो साक्ष्य आई है उसमें अ0सा0-1 के रूप में आर्म्स क्लर्क योगेन्द्रसिंह को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 12.03.14 को वह जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के अप0क्र0-37/14 से संबंधित केसडायरी एवं जप्तशुदा आग्नेय शस्त्र एक 315 बोर का देशी कट्टा और तीन 315 बोर के जिन्दा कारतूस सीलबंद अवस्था में आरक्षक देवेन्द्रसिंह लेकर आया था जिसे तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। केसडायरी के साथ पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन भी था। पुलिस प्रतिवेदन, केसडायरी और जप्तशुदा आग्नेय शस्त्र का जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवलोकन करने के पश्चात आरोपी रवि गुर्जर जिसके आधिपत्य से जप्ती बताई गई थी, उसके पास शस्त्र रखने का कोई वैध लायसेन्स न होने से अभियोजन चलाने की स्वीकृति एम0 सिवि चक्रवर्ती तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा प्र0पी0-1 की प्रदान की गई थी जिस पर उसने अपने भी लघु हस्ताक्षर बताये हैं और जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों को भी पहचाना है। प्रतिपरीक्षा में अन्यथा कोई ऐसे तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिससे धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रदान की गई अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-1 में न्यायिक विवेक का उपयोग न किया गया हो। केसडायरी का अवलोकन करना, शस्त्र को देखना ही इस बात का द्योतक है कि जिला दण्डाधिकारी के द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा-39 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति जप्तशुदा आग्नेय शस्त्र रखने संबंधी कोई वैध एवं जीवित लायसेन्स न होना मनाकर उक्त आयुध अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन पाते हुए अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसलिये अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने में तो कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है और प्र0पी0-1 की अभियोजन स्वीकृति अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य से अवश्य प्रमाणित होती है किन्तु उक्त अभियोजन स्वीकृति उस स्थिति में अभियोजन के लिये लाभकारी होगी जबकि प्र0पी0-10 मुताबिक आरोपी रवि गुर्जर से बताई गई जप्ती युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो।
18. आरक्षक सुरेश दुबे अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 13.02.14 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मुहर्निर के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना मालनपुर के अप0क्र0-37/14 में जप्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं तीन जिन्दा कारतूस सीलबंद स्थिति में परीक्षण हेतु आरक्षक देवेन्द्रसिंह के माध्यम से प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करना और परीक्षण उपरान्त प्र0पी0-15 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए इस आशय की अभिसाक्ष्य दी है कि उसने कट्टा चैक किया था जिसका एक्शन चालू था। कट्टे से फायर किया जा सकता था तथा जो तीन जिन्दा कारतूस आये थे उनकी पैदी पर 8एमएमकेएफ लिखा हुआ था जो फायर योग्य थे उनसे फायर किया जा सकता था। जांच उपरान्त जिस कपड़े में आयुध सीलबंद होकर आये थे उसमें पुनः सीलबंद करके नमूना की पर्ची चस्पा कर उसी आरक्षक को वापिस कर दिये थे।

देशी कट्टा उसने खाली चलाकर देखा था और उसका एक्शन चालू होकर फायर योग्य था। कारतूस चलाकर नहीं देखा था। कट्टे का उपयोग हुआ था या नहीं, इसका परीक्षण पुलिस लाईन में होने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि कट्टे के बैरल में रिंग बने थे या नहीं, इसकी जांच एफ0एस0एल0 सागर द्वारा होती है। यह स्वीकार किया है कि उसने सीलबंद स्थिति में कट्टा कारतूस प्राप्त होने पर उन्हें खोलने और जांच उपरांत पुनः सीलबंद करने का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया है। लेकिन उसने यह कहा है कि कट्टे का बैरल में डमी राउण्ड लगा था और कट्टे और बैरल को चैक किया था। इस प्रकार से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-15 की जांच रिपोर्ट इस संदर्भ में तो प्रमाणित होती है कि उसने जब 315 बोर के कट्टे और कारतूसों का परीक्षण किया था, तब वे चालू हालत में होकर जीवित थे। फायर योग्य थे अर्थात् उनका आग्नेय शस्त्र के रूप में उपयोग किया जा सकता था। किन्तु जो कट्टा कारतूस जांच को भेजे गये वे आरोपी रवि गुर्जर के आधिपत्य से ही बरामद हुए थे। जब तक यह प्रमाणित न हो तब तक प्र0पी0-1 व 15 का प्रकरण में उपयोग नहीं हो सकता है।

19. अभियोजन के मुताबिक आरोपीगण के विरुद्ध नामजद लूट की घटना दर्ज कराई जाना और उसमें अवैध कट्टे का उपयोग बताये जाने के आधार पर की गई विवेचना में घटना दिनांक को ही आरोपी रवि गुर्जर एवं बंटी गुर्जर को अ0सा0-2 व 3 के समक्ष गिरफ्तार किया जाना, उनके समक्ष ही पूछताछ करके आरोपी रवि गुर्जर से कट्टा व कारतूस की बरामदगी के संबंध में जानकारी संकलित की जाना, प्र0पी0-7 मुताबिक बताया गया है और आरोपी रवि गुर्जर के द्वारा दी गई उक्त जानकारी के आधार पर ही उसके कब्जे से प्र0पी0-10 का जप्ती पत्रक बनाकर 315 बोर का एक देशी कट्टा व तीन जिन्दा कारतूस बरामद किया जाना, अ0सा0-5 शेरसिंह जो कि घटना का विवेचक है, उसने बताया है किन्तु उसकी उक्त कार्यवाही का मनोज अ0सा0-2 और दीपू अ0सा0-3 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। तथा उक्त दोनों साक्षियों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि कट्टा कारतूस के संबंध में उनके सामने आरोपीगण ने कोई जानकारी नहीं दी न ही वह जप्त हुए। प्र0पी0-10 पर भी अ0सा0-2 व 3 ने थाने पर ही पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करा लिये जाना बताते हुए रवि गुर्जर से 315 बोर का एक देशी कट्टा और तीन जिन्दा कारतूस जप्त किये जाने से और उसके संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये जाने से इन्कार किया है। इसलिये प्र0पी0-10 का जप्ती पत्रक भी प्रमाणित नहीं होता है। न ही प्र0पी0-7 का मेमोरेण्डम कथन प्रमाणित है जिसमें कट्टा कारतूस की बरामदगी की सूचना आरोपी रवि गुर्जर के द्वारा दी जाना बताई गई है। इसलिये यह भी संदिग्ध है कि दिनांक 09.02.14 को आरोपी रवि गुर्जर जैसीबी मशीन की लूट की घटना के समय 315 बोर का देशी कट्टा मय तीन जीवित कारतूसों के अपने आधिपत्य और संज्ञान में रखे था जिसका लूट की घटना में उपयोग भी किया गया। यह भी संदिग्ध है कि जिस समय रवि गुर्जर को टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-5 के द्वारा प्र0पी0-5 मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ की गई थी तब भी उसके आधिपत्य व संज्ञान में उक्त देशी कट्टा व कारतूस थे। जो प्र0पी0-10 मुताबिक बरामद हुए। इसलिये प्र0पी0-10 के संबंध में भी अ0सा0-5 की साक्ष्य

विश्वसनीय नहीं है और जिस प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर आई है, उससे बचाव पक्ष का यह तर्क कि आरोपीगण के द्वारा कोई घटना नहीं की गई है और उन्हें झूठा फंसा दिया है। पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर टी0आई0 शेरसिंह द्वारा तैयार की गई, उसे उत्पन्न परिस्थितियों में बल मिलता है। इसलिये आरोपी रवि गुर्जर के विरुद्ध उक्त विचारणीय प्रश्न भी कतई प्रमाणित नहीं होता है और उसके संबंध में भी अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध होने से आरोपी रवि गुर्जर को भी आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए पाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है इसलिये उसे आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-ख)(क) सहपठित धारा-11/13एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोप से भी संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा जेसीबी मशीन पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं अतः अपील अवधि उपरान्त सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। एवं जप्तशुदा 315 बोर कट्टा व तीन कारतूस 315 बोर के अपील अवधि उपरान्त विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

22. आरोपीगण का धारा-428 दफ्तर का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

23. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 19.03.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)